"Knowledge Scholar"
An International Peer Reviewed E-Journal Of Multidisciplinary Research
Volume: 06, Issue: 01, Jan. – Feb. 2019 eISSN NO. 2394-5362
Impact Factor (SJIF) – 5.266

दसवीं अनुसूची की समीक्षा की आवश्यकता

वर्षा डागुर
सहायक आचार्य,
राजनीति विज्ञान,
राजकीय महाविद्यालय,
बयाना, भरतपुर, राजस्थान

भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को 'दल बदल विरोधी कानून' (Anti-Defection Law) कहा जाता है, वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसका भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया।

52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल-परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता (Disqualify) के बारे में प्रावधान किया गया है। इस हेतु संविधान में एक नयी अनुसूची (दसवीं अनुसूची) जोड़ी गई है। इस अधिनियम को सामान्यतया 'दल-बदल कानून 'कहा जाता है।

बाद में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा दसवीं अनुसूची के उपबंधों में एक परिवर्तन किया गया। इसने एक उपबंध को समाप्त कर दिया अर्थात अब विभाजन के मामले में दल-बदल के आधार पर अयोग्यता नहीं मानी जायेगी, बशर्ते कि ऐसे विभाजन में संबंधित दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य शामिल हों (अनुसूची-10, पैरा-3)।

इसमें अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 में संशोधन किया गया और संविधान की दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें दलबदल करने वाले सांसदों और विधायकों की अर्हता निरस्त करने के संबंध में उपबंध किए गए हैं।

(अनुच्छेद 102 (2) और अनुच्छेद 191 (2))

दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध

1. निर्वचन-

इस अनुसूची में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) 'सदन' से, संसद का कोई सदन या किसी राज्य की, यथास्थिति, विधान सभा या, विधान-मंडल का कोई सदन अभिप्रेत है;

(ख) सदन के किसी ऐसे सदस्य के संबंध में जो, यथास्थिति, पैरा 2 या पैरा 3 या पैरा 4 के उपबंधों के अनुसार किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, 'विधान-दल' से, उस सदन के ऐसे सभी सदस्यों का समूह अभिप्रेत है जो उक्त उपबंधों के अनुसार तत्समय उस राजनीतिक दल के सदस्य हैं;

(ग) सदन के किसी सदस्य के संबंध में, 'मूल राजनीतिक दल' से ऐसा राजनीतिक दल अभिप्रेत है जिसका वह पैरा 2 के उपपैरा (1) के प्रयोजनों के लिए सदस्य है;

(घ) 'पैरा' से इस अनुसूची का पैरा अभिप्रेत है।

2. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता-

(1) पैरा 3, पैरा 4 और पैरा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सदन का कोई सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, सदन का सदस्य होने के लिए उस दशा में निरर्हित होगा जिसमें-

(क) उसने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है; या

(ख) वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा जिसका वह सदस्य है अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निदेश के विरुद्ध, ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, ऐसे सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है और ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने को ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है।

स्पष्टीकरण- इस उपपैरा के प्रयोजनों के लिए, -

(क) सदन के किसी निर्वाचित सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल का, यदि कोई हो, सदस्य है जिसने उसे ऐसे सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में खड़ा किया था;

(ख) सदन के किसी नामनिर्देशित सदस्य के बारे में, -

(1) उस दशा में, जिसमें वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने नामनिर्देशन की तारीख को किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल का सदस्य है;

(2) किसी अन्य दशा में, यह समझा जाएगा कि वह उस राजनीतिक दल का सदस्य है जिसका, यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से छह मास की समाप्ति के पूर्व वह, यथास्थिति, सदस्य बनता है या पहली बार बनता है।

(2) सदन का कोई निर्वाचित सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी से भिन्न रूप में सदस्य निर्वाचित हुआ है, सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह ऐसे निर्वाचन के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है।

(3) सदन का कोई नामनिर्देशित सदस्य, सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह, यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से छह मास की समाप्ति के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है।

(4) इस पैरा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो, संविधान (बावनवाँ संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारंभ पर, सदन का सदस्य है (चाहे वह निर्वाचित सदस्य हो या नामनिर्देशित) -

(1) उस दशा में, जिसमें वह ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले किसी राजनीतिक दल का सदस्य था वहाँ, इस पैरा के उपपैरा (1) के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी के रूप में ऐसे सदन का सदस्य निर्वाचित हुआ है;

(2) किसी अन्य दशा में, यथास्थिति, इस पैरा के उपपैरा (2) के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि वह सदन का ऐसा निर्वाचित सदस्य है जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी से भिन्न रूप में सदस्य निर्वाचित हुआ है या, इस पैरा के उपपैरा (3) के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि वह सदन का नामनिर्देशित सदस्य है।

1. संविधान (बावनवाँ संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 6 द्वारा (1-3-1985 से) जोड़ा गया।

3. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता का दल विभाजन की दशा में लागू न होना-
जहाँ सदन का कोई सदस्य यह दावा करता है कि वह और उसके विधान-दल के कोई अन्य सदस्य ऐसे गुट का प्रतिनिधित्व करने वाला समूह गठित करते हैं जो उसके मूल राजनीतिक दल के विभाजन के परिणामस्वरुप उत्पन्ना हुआ है और ऐसे समूह में ऐसे विधान-दल के कम से कम एक तिहाई सदस्य हैं वहाँ -
(क) वह पैरा 2 के उपपैरा (1) के अधीन इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि-
(1) उसने अपने मूल राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है; या
(2) उसने ऐसे दल द्वारा अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निदेश के विरुद्ध, ऐसे दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, ऐसे सदन में मतदान किया है या वह मतदान करने से विरत रहा है और ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने को ऐसे दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है; और

(ख) ऐसे दल विभाजन के समय से, ऐसे गुट के बारे में यह समझा जाएगा कि वह, पैरा 2 के उपपैरा (1) के प्रयोजनों के लिए, ऐसा राजनीतिक दल है जिसका वह सदस्य है और वह इस पैरा के प्रयोजनों के लिए उसका मूल राजनीतिक दल है।

4. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता का विलय की दशा में लागू न होना-

(1) सदन का कोई सदस्य पैरा 2 के उपपैरा (1) के अधीन निरर्हित नहीं होगा यदि उसके मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो जाता है और वह यह दावा करता है कि वह और उके मूल राजनीतिक दल के अन्य सदस्य-

(क) यथास्थिति, ऐसे अन्य राजनीतिक दल के या ऐसे विलय से बने नए राजनीतिक दल के सदस्य बन गए हैं; या

(ख) उन्होंने विलय स्वीकार नहीं किया है और एक पृथक् समूह के रुप में कार्य करने का विनिश्चय किया है, और ऐसे विलय के समय से, यथास्थिति, ऐसे अन्य राजनीतिक दल या नए राजनीतिक दल या समूह के बारे में यह समझा जाएगा कि वह, पैरा 2 के उपपैरा (1) के प्रयोजनों के लिए, ऐसा राजनीतिक दल है जिसका वह सदस्य है और वह इस उपपैरा के प्रयोजनों के लिए उसका मूल राजनीतिक दल है।

(2) इस पैरा के उपपैरा (1) के प्रयोजनों के लिए, सदन के किसी सदस्य के मूल राजनीतिक दल का विलय हुआ तभी समझा जाएगा जब संबंधित विधान-दल के कम से कम दो तिहाई सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हैं।

5. छूट-

इस अनुसूची में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जो लोक सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा राज्य सभा के उपसभापति अथवा किसी राज्य की विधान परिषद् के सभापति या उपसभापति अथवा किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुआ है, इस अनुसूची के अधीन निरर्हित नहीं होगा,-

(क) यदि वह, ऐसे पद पर अपने निर्वाचन के कारण ऐसे राजनीतिक दल की जिसका वह ऐसे निर्वाचन से ठीक पहले सदस्य था, अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है और उसके पश्चात् जब तक वह पद धारण किए रहता है तब तक, उस राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित नहीं होता है या किसी दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बनता है; या

(ख) यदि वह, ऐसे पद पर अपने निर्वाचन के कारण, ऐसे राजनीतिक दल की जिसका वह ऐसे निर्वाचन से ठीक पहले सदस्य था, अपनी सदस्यता छोड़ देता है और ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात् ऐसे राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है।

6. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में प्रश्नों का विनिश्चय-

(1) यदि यह प्रश्न उठता है कि सदन का कोई सदस्य इस अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न, ऐसे सदन के, यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा:

परंतु जहाँ यह प्रश्न उठता है कि सदन का सभापति या अध्यक्ष निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं वहाँ वह प्रश्न सदन के ऐसे सदस्य के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसे वह सदन इस निमित्त निर्वाचित करे और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरर्हता के बारे में किसी प्रश्न के संबंध में इस पैरा के उपपैरा (1) के अधीन सभी कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे, यथास्थिति, अनुच्छेद 122 के अर्थ में संसद की कार्यवाहियां हैं या अनुच्छेद 212 के अर्थ में राज्य के विधान-मंडल की कार्यवाहियाँ हैं।

7. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन-

इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, किसी न्यायालय को इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित किसी विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी।

8. नियम-

(1) इस पैरा के उपपैरा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सदन का सभापति या अध्यक्ष, इस अनुसूची के उपबंधों

पैरा 7 को किहोतो होलोहन बनाम जोचिल्हु और अन्य (1992) 1 एस.सी.सी. 309 में बहुमत की राय के अनुसार अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परंतुक के अनुसार अधिसूचना के अभाव में अविधिमान्य घोषित किया गया।

को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा तथा विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क) सदन के विभिन्न सदस्य जिन राजनीतिक दलों के सदस्य हैं, उनके बारे में रजिस्टर या अन्य अभिलेख रखना;

(ख) ऐसा प्रतिवेदन जो सदन के किसी सदस्य के संबंध में विधान-दल का नेता, उस सदस्य की बाबत पैरा 2 के उपपैरा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की माफी के संबंध में देगा, वह समय जिसके भीतर और वह प्राधिकारी जिसको ऐसा प्रतिवेदन दिया जाएगा।

(ग) ऐसे प्रतिवेदन जिन्हें कोई राजनीतिक दल सदन के किसी सदस्य को ऐसे राजनीतिक दल में प्रविष्ट करने के संबंध में देगा और सदन का ऐसा अधिकारी जिसको ऐसे प्रतिवेदन दिए जाएँगे; और

(घ) पैरा 6 के उपपैरा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रश्न का विनिश्चय करने की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसी जाँच की प्रक्रिया है, जो ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए की जाए।

(2) सदन के सभापति या अध्यक्ष द्वारा इस पैरा के उपपैरा (1) के अधीन बनाए गए नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, सदन के समक्ष, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखे जाएँगे। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी।

वे नियम तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर प्रभावी होंगे जब तक कि उनका सदन द्वारा परिवर्तनों सहित या उनके बिना पहले ही अनुमोदन या अननुमोदन नहीं कर दिया जाता है। यदि वे नियम इस प्रकार अनुमोदित कर दिए जाते हैं तो वे, यथास्थिति, ऐसे रूप में जिसमें वे रखे गए थे या ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होंगे। यदि नियम इस प्रकार अनुमोदित कर दिए जाते हैं तो वे निष्प्रभाव हो जाएँगे।

(3) सदन का सभापति या अध्यक्ष, यथास्थिति, अनुच्छेद 105 या अनुच्छेद 194 के उपबंधों पर और किसी ऐसी अन्य शक्ति पर जो उसे इस संविधान के अधीन प्राप्त है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह निदेश दे सकेगा कि इस पैरा के अधीन बनाए गए नियमों के किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किए गए किसी उल्लंघन के बारे में उसी रीति से कार्रवाई की जाए जिस रीति से सदन के विशेषाधिकार के भंग के बारे में की जाती है।

इसका उद्देश्य राजनीतिक सत्ता का और पद के मोह व लालच में दल बदल करने वाले जन-प्रतिनिधियों को अयोग्य साबित करना है, ताकि संसद की स्थिरता बनी रहे।

इस तरह किसी भी विधायक को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ता है।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उनकी भूमिका यह है कि वे सामूहिक रूप से लोकतांत्रिक फैसला लेते हैं।

स्वतंत्र भारत के कुछ वर्षो बाद ही यह महसूस किया जाने लगा कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने सामूहिक जनादेश की अनदेखी की जाने लगी है। विधायकों और सांसदों के जोड़-तोड़ से सरकारें बनने और गिरने की प्रकिया शुरू हो गई है

1960-70 के दशक में 'आया राम गया राम 'की राजनीति देश में काफी प्रचलित हो चली थी। दरअसल अक्तूबर 1967 को हरियाणा के एक विधायक गया लाल ने 15 दिनों के भीतर 3 बार दल-बदलकर इस मुद्दे को चर्चा में ला दिया था।उन्होंने 15 दिन में तीन दल बदले थे। गया लाल पहले कांग्रेस से जनता पार्टी में गए, फिर वापस कांग्रेस में आए और अगले नौ घंटे के भीतर दोबारा जनता पार्टी में लौट गए।

जब गया लाल ने यूनाइटेड फ्रंट छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया, तब कांग्रेस नेता राव बीरेंद्र सिंह उन्हें चंडीगढ़ ले गए, जहाँ उन्होंने गया लाल का परिचय 'आया राम-गया राम 'के तौर पर कराया। इसके बाद आया राम-गया राम को लेकर तमाम चुटकुले और कार्टून बने और 'आया राम गया राम नारा प्रचलन में आ गया।

इसी के साथ जल्द ही दलों को मिले जनादेश का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को चुनाव में भाग लेने से रोकने तथा अयोग्य घोषित करने की ज़रूरत महसूस होने लगी।

दलबदल की इस प्रक्रिया को रोकने के संदर्भ में सर्वप्रथम 1968 में वाई. बी. चाहवाण की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गयी थी। चाहवाण समिति की सिफ़ारिशों पर सदस्यों में तीव्र मतभेद रहा। इसके बाद 1971 में भागवत सहाय की अध्यक्षता में एक और समिति का गठन किया गया

अंततः वर्ष 1985 में संविधान संशोधन के ज़रिये दल-बदल विरोधी कानून लाया गया।

स्पीकर (अध्यक्ष) का अधिकार

दल-बदल कानून लागू करने के सभी अधिकार सदन के अध्यक्ष या सभापति को दिए गए हैं। मूल प्रावधानों के तहत अध्यक्ष के किसी निर्णय को न्यायालय की समीक्षा से बाहर रखा गया और किसी न्यायालय को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने नागालैंड के किरोतो होलोहन (1992) मामले में इस प्रावधान को ख़ारिज कर दिया। न्यायिक सिद्धांतों का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि 'न्यायिक समीक्षा 'भारतीय संविधान के मूल ढाँचे में आती है, जिसे रोका नहीं जा सकता।

दलबदल विरोधी कानून का प्राथमिक उद्देश्य सरकारों को स्थिरता प्रदान करना था। हालाँकि इस कानून ने पार्टी के प्रति विधायकों की जवाबदेहिता को सीमित किया है, साथ ही यह सरकारों की स्थिरता सुनिश्चित करने में भी विफल रहा है।

दलबदल विरोधी कानून से संबंधित मुद्दे

निर्विवाद प्रतिनिधि लोकतंत्र: सामान्यतः विधायिका सदस्यों की मतदाताओं के एजेंट के रूप में और जनहित के विभिन्न मुद्दों पर अपने निर्णय का प्रयोग करने के हेतु व्यापक रूप से स्वीकृत दो भूमिकाएँ होती हैं।

दलबदल-निरोधी कानून लागू करने के बाद सांसद या विधायक को आवश्यक रूप से पार्टी के निर्देश का पालन करना होता है जो किसी मुद्दे पर उनकी स्वयं की मौलिकता प्रकट करने की स्वतंत्रता को सीमित करता है।

इस प्रकार की व्यवस्था प्रतिनिधि को निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि और राष्ट्रीय विधायिका का सदस्य होने के बजाय केवल राजनीतिक दल के एजेंट के रूप में रूपांतरित करता है।

इस प्रकार यह प्रावधान प्रतिनिधि लोकतंत्र की अवधारणा के विरुद्ध है।

विधायी कानून: विधायिका की शक्तियों को सीमित करना दलबदल विरोधी कानून का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम रहा है।

इसकी वजह से नीति निर्माण, बिल और बजट की जाँच तथा निर्णयों में सांसद की मुख्य भूमिका केवल पार्टी को समर्थन या विरोध करने वाले एक वोट तक सीमित रह जाती है।

संसदीय लोकतंत्र को रेखांकित करना: संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते समय डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा सरकार के राष्ट्रपति/अध्यक्षीय और संसदीय शासन स्वरूपों के बीच मतभेदों को रेखांकित किया गया।

उनके अनुसार, राष्ट्रपति को उच्च स्थायित्व तथा कम जवाबदेही के साथ चार साल के लिये निर्वाचित किया जाता है और केवल महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है।

राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की तुलना में संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार अधिक जवाबदेह होती है और लोकसभा में अविश्वास की स्थिति में सरकार को सदन से हटाया जा सकता है।

भारत में विधायकों की जवाबदेही मुख्य रूप से राजनीतिक पार्टी तक ही सीमित रही है। इस प्रकार दलबदल विरोधी कानून संसदीय लोकतंत्र की अवधारणा के खिलाफ काम करता है।

दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता का अभाव: दलबदल विरोधी कानून यह सुनिश्चित कर राजनीतिक स्थिरता की परिकल्पना करता है कि यदि सदस्य को इस कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है तो वह बिना दोबारा चुनाव जीते मंत्री पद नहीं प्राप्त कर सकता है।

अध्यक्ष की विवादास्पद भूमिका: सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना प्रत्येक सदस्य का अधिकार है। हालाँकि संविधान के अनुच्छेद 190 के अनुसार, इस्तीफा स्वैच्छिक या वास्तविक होना चाहिये, यदि अध्यक्ष को किसी बाह्य दबाव से संबंधित जानकारी मिलती है, तो वह इस्तीफा स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है।

कानून के तहत अपवाद:

विधायक कुछ परिस्थितियों में अयोग्यता के जोखिम के बिना अपनी पार्टी बदल सकते हैं ।
यह कानून किसी पार्टी को किसी अन्य दल के साथ विलय करने या किसी अन्य पार्टी में विलय करने की अनुमति देता है बशर्ते कि उसके कम से दो तिहाई विधायक विलय के पक्ष में हों ।
ऐसे परिदृश्य में न तो विलय का फैसला करने वाले सदस्यों को और न ही मूल पार्टी के साथ रहने वालों को अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा।
पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है:

कानून में शुरू में कहा गया था कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। इस शर्त को उच्चतम न्यायालय ने १९९२ में रद्द कर दिया था, जिससे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति दी गई थी । हालांकि, यह माना गया कि जब तक पीठासीन अधिकारी अपना आदेश नहीं देता तब तक कोई न्यायिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता है ।

दलबदल विरोधी कानून के लाभ
पार्टी निष्ठा की बदलावो को रोककर सरकार को स्थिरता प्रदान करता है।
यह सुनिश्चित करता है कि उम्मीदवार पार्टी के प्रति वफादार रहें और साथ ही नागरिक उसके लिए मतदान करें ।
पार्टी अनुशासन को बढ़ावा देता है।
दल-विरोधी दलों के प्रावधानों को आकर्षित किए बिना राजनीतिक दलों के विलय की सुविधा
राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार कम होने की उम्मीद।
एक पक्ष से दूसरे पक्ष में दोष लगाने वाले सदस्य के खिलाफ दंडात्मक उपाय करने का प्रावधान है।
कानून द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से उबरने के लिए विभिन्न सिफारिशें:

चुनाव सुधार पर दिनेश गोस्वामी समिति: अयोग्यता निम्नलिखित मामलों तक सीमित होनी चाहिए:

एक सदस्य स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता देता है

एक सदस्य मतदान से बचना, या विश्वास मत या अविश्वास प्रस्ताव में पार्टी सचेतक के विपरीत वोट ।

राजनीतिक दल तभी व्हिप जारी कर सकते थे, जब सरकार खतरे में हो।

विधि आयोग (170 वीं रिपोर्ट)

ऐसे प्रावधान जो विभाजन और विलय को अयोग्यता से मुक्त करते हैं, उन्हें हटा दिया जाए ।

चुनाव पूर्व चुनावी मोर्चों को दल-विरोधी दल के तहत राजनीतिक दल माना जाना चाहिए

राजनीतिक दलों को व्हिप जारी करने को तभी सीमित करना चाहिए जब सरकार खतरे में हो ।

चुनाव आयोग:

दसवीं अनुसूची के तहत निर्णय राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा चुनाव आयोग की बाध्यकारी सलाह पर किए जाने चाहिए ।

दलबदल याचिकाओं के निस्तारण की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए

इस मामले में सभी ने कहा कि पीठासीन अधिकारी को राजनैतिक विचारधारा से ऊपर उठकर निष्पक्ष निर्णय देना चाहिए। दलबदल याचिकाओं के निस्तारण की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। उक्त सभी ने दलबदल कानून की पुन:समीक्षा किए जाने की भी जरूरत बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी यह कह चुका है कि पीठासीन अधिकारियों द्वारा दलबदल के निर्णय देने संबंधी अधिकार पर संसद को फिर से विचार करना चाहिए।

दलबदल पर कठोरता से रोक लगनी चाहिए

अयोग्यता पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा लिया जाना चाहिए क्योंकि दल बदल विरोधी कानून के अनुसार स्पीकर को बहुत अधिक महत्व दिया गया है।

अधिक कठोर और प्रभावी कानून समय की आवश्यकता है।

इस तरह के मामलों से निपटने के लिए ट्रिब्यूनल बनाने की जरूरत है।

सत्ता का उचित विभाजन विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच होना चाहिए।

इस्तीफे के बाद भी अयोग्यता प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए।

दलबदल-विरोधी कानून यह सुनिश्चित करता है कि विधायकों के पक्ष में बदलाव न करके एक स्थिर सरकार प्रदान की जाए।

जब कोई व्यक्ति दल-बदल करे तो उसे निश्चित अवधि तक मंत्रीपद न मिलने संबंधी कानून बनाना चाहिए।

दलबदल के संबंध में स्पीकर के निर्णय लेने की शक्ति की समीक्षा होनी चाहिए।

डॉ.पत्रो, डॉ.जोशी और हेगड़े ने कहा कि स्पीकर को संविधान में मिली शक्तियों का पूरा उपयोग करना चाहिए, लेकिन दलबदल पर कठोरता से रोक लगनी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अध्यक्ष को तीन महीने में निर्णय देना होगा लेकिन इस संबंध में अध्यक्ष की बाध्यता को निर्धारित नहीं किया गया है।

आगे की राह

पार्टी के आंतरिक स्तर पर लोकतंत्र को मज़बूत करना: अगर राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने में पार्टी की आंतरिक प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण है तो पार्टी के आंतरिक स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मज़बूत किया जाना चाहिये।

दल बदलने पर सदस्यता समाप्त हो,

चुनाव जीतने के बाद निर्दलीय या राजनीतिक दल का जनप्रतिनिधि किसी भी कीमत पर दल नहीं बदल पाए। इसका कानून बने कि यदि बदलता है तो उसकी सदस्यता जाएगी।

पार्टी में लोगों को विरासत के बजाय उनकी क्षमता के आधार पर पद और उत्तरदायित्व प्रदान किया जाना चाहिये।

राजनीतिक दलों का विनियमन: भारत में राजनीतिक दलों को नियंत्रित करने वाले कानून की सख्त आवश्यकता है। इस तरह के कानून द्वारा राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लाया जाना चाहिये और पार्टी के आंतरिक स्तर पर लोकतंत्र को मज़बूत करने जैसे प्रयास किये जाने चाहिये।

चुनाव आयोग का अंतिम अधिकार: सदन का अध्यक्ष, दलबदल के मामले में अंतिम प्राधिकारी होने के कारण शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को प्रभावित करता है।

दलबदल के मामले में चुनाव आयोग के पास निर्णय का अंतिम अधिकार होना चाहिये ताकि इसके दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जा सके।

दलबदल विरोधी कानून के दायरे को विनियमित करना: प्रतिनिधि लोकतंत्र में दलबदल विरोधी कानून के हानिकारक प्रभाव को कम कर कानून के दायरे को केवल सरकार के उत्तरदायित्व वाले क्षेत्रों तक सीमित रखा जाना चाहिये।

निष्कर्ष

दलबदल जैसे राजनीतिक साधनों के प्रयोग के माध्यम से सत्ता की प्रवृत्ति में जल्दी से जल्दी रोक लगानी होगी। इसके लिए आवश्यक है कि दलबदल विरोधी कानून की खामियों को दूर करने के लिए 10वीं अनुसूची में कानूनी बदलाव किये जाएँ। यह न सिर्फ भारत के संवैधानिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है बल्कि लोकतन्त्र कि व्यवस्था में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है।

संक्षेप में बात करें तो दलबदल विरोधी कानून, विधायिका के कामकाज और उत्तरदायित्व (नागरिकों की ओर से कार्यपालिका पर नियंत्रण) हेतु हानिकारक प्रतीत हो रहा है। इस अधिनियम ने सदस्यों को विधेयकों और बजट पर सरकार के निर्णय का समर्थन करने हेतु एक मंच के रूप में रूपांतरित कर दिया है। वर्तमान घटनाएँ संविधान की दसवीं अनुसूची की प्रासंगिकता को अधिक उपर्युक्त बनाने हेतु समीक्षा की मांग करती हैं।

संदर्भ सूची:

1) https://www.prsindia.org/theprsblog/anti-defection-law-explained

2) http://www.legalservicesindia.com/article/1937/Anti-defection-law-the-challenges.html

3) https://www.civilsdaily.com/story/anti-defection-law/

4) https://www.barandbench.com/columns/anti-defection-laws-in-india-its-flaws-and-its-falls

5) https://www.hindustantimes.com/opinion/the-anti-defection-law-continues-to-damage-indian-democracy-101613914337557.html

6) http://delhiassembly.nic.in/antidefection.htm

7) Anti-Defection Law In India And Commonwealth. By G.C. Malhotra

8) Anti-Defection Law And Parliamentary Privileges. By Subhash C. Kashyap

9) Constitution Of India. By Dr. Jai Narayan Panday

10) Bare Act